न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 08/17 दायरा दिनांक 15.12.2017

पीठासीन अधिकारी :— राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. मोरपाल पुत्र बुद्धा जाति सहरिया निवासी करवरी कलां तहसील किशनगंज जिला बारां **(मृतक)**

1/1 जग्गू पुत्र मोरपाल जाति सहरिया निवासी करवरी कलां तहसील किशनगंज जिला बारां।

1/2 कालू पुत्र मोरपाल जाति सहरिया निवासी करवरी कलां तहसील किशनगंज जिला बारां।

1/3 गोपाल पुत्र मोरपाल जाति सहरिया निवासी करवरी कलां तहसील किशनगंज जिला बारां।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. बबलू पुत्र रामपाल जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
2. चन्दी पुत्री रामपाल जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
3. बादाम पुत्री रामपाल जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
4. गिर्राज पुत्र रामकिशन जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
5. भागल्या पुत्र रामकिशन जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
6. शीला पुत्री रामकिशन जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
7. कस्तूरी बेवा रामकिशन जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
8. कपिल नाबालिग पुत्र पुष्पदयाल नाबालिग की वली दादी कस्तूरी बेवा रामकिशन जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां।
9. रीना नाबालिग पुत्री पुष्पदयाल नाबालिग की वली दादी कस्तूरी बेवा रामकिशन जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां।
10. रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जाति सहरिया निवासी भूटिया रेलावन तहसील किशनगंज जिला बारां।
11. बन्टी पुत्र लछमाबाई जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
12. राजाराम पुत्र लछमा बाई जाति सहरिया निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां।

— अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित

1. श्री राधाबल्लभ नागर, अभिभाषक प्रार्थी।
2. एक्स पार्टी – अप्रार्थी।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन दिनांक 17.05.1986 आराजी ख.नं. 280 रकबा 5.00 बीघा ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज अन्तर्गत धारा 14(4) भू. आवंटन नियम 1970</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक 2-2-2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अप्रार्थीगण 1 ता 9 व 11, 12 के पिता दादा रामपाल पुत्र बुद्धा को किया गया आवंटन ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज खसरा नम्बर 280 रकबा 5.00 बीघा अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी को किया गया आवंटन अपूर्ण कोरम से व राजस्व कर्मचारियों ने अनदेखी करके किया गया है जिसकी आवंटन बाबत कोई उद्धघोषणा नहीं की गई 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थी उक्त भूमि को काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में है तथा प्रार्थी भूमिहीन है। वक्त आवंटन भी उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी तथा अभी भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। आवंटित भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं थी उक्त भूमि ओक्यूपाईड श्रेणी की भूमि में आती है आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी उक्त भूमि को काश्त करता तथा फसल लेता चला आ रहा है। इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। अप्रार्थी ने आवंटन के नियमों की पालना नहीं की है तथा उक्त भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। अप्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर भूमि प्रार्थी के कब्जे में होते हुये भी मिश रिप्रजेन्टेशन कर भूमि का आवंटन करवाया है जो अवैधानिक होने से निरस्तनीय है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि मोरपाल [illegible] विवादित भूमि मोरपाल के कब्जे काश्त में हैं जो रामपाल को आवंटित है। आवं[illegible] अतः आवंटन निरस्त करें। आवंटन दिनांक 17.05.1986 निरस्त कराने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि आवंटन अपूर्ण कोरम व प्रक्रिया द्वारा किये जाने से अवैधानिक है। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.05.1986 को अप्रार्थीगण के पिता, दादा रामपाल पुत्र बुद्धा जाति सहर निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज को ग्राम करवरीकलां की आराजी खसरा नं. 280 रकबा 5 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:17 IST
Reason: SelfAttested